रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22, 2009/श्रावण 31, 1931
No. 470] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22, 2009/SRAVANA 31, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 597(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि कोई व्यक्ति, स्थापन या औद्योगिक इकाई, जो प्रति मास दस क्विंटल से अधिक चीनी का उत्पादन या खपत या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में किसी भी रीति में उपयोग या खपत करती है, किसी भी समय पंद्रह दिन के ऐसे उपयोग या खपत से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखेगी :

परंतु यह कि इस आदेश की कोई बात केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा किसी स्थानीय निकाय से संबंधित संस्था अथवा रजिस्ट्रीकृत पूर्त न्यास द्वारा चलाए जा रहे संस्था, अस्पताल, कामकाजी पुरुष और महिला हॉस्टल और किसी शैक्षिक संस्था के छात्रावास पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण— इस आदेश के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी व्यक्ति, स्थापन या औद्योगिक इकाई द्वारा चीनी का औसत उपयोग या खपत दस क्विंटल से अधिक है या नहीं, इस प्रश्न का अवधारण किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऐसे व्यक्ति, स्थापन या इकाई के पिछले बारह मास में चीनी के मासिक उपयोग या खपत पर विचार करने के पश्चात् जारी किए गए प्रमाण-पत्र द्वारा किया जाएगा;

(ख) चार्टर्ड एकाउंटेंट का अर्थ वही है जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है ।

2. यह आदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन के इक्कीस दिन के पश्चात् प्रवृत्त होगा और छह मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

[फा. सं. 1-17/98-एस.पी.वाई.डी. II]

आर. पी. भागरिया, मुख्य निदेशक (शर्करा)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2009

G.S.R. 597(E).—*In* exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, the Central Government hereby directs that no person, establishment, or industrial unit using or consuming more than ten quintals of sugar per month as a raw material for production or consumption or use, in any manner, shall keep in stock, at any time, sugar exceeding fifteen days of such use or consumption :

Provided that nothing contained in this order shall apply to any institution belonging to the Central Government or the State Government or an Union Territory administration or a local body or run by a registered

charitable trust, hospital, hostel for working men and women and hostel of any educational institution.

Explanation.—For the purposes of this Order,—

(a) the question whether the average use or consumption of sugar by a person, establishment or industrial unit exceeds ten quintals or not, shall be determined by a certificate issued by a Chartered Accountant after taking into account monthly use or consumption of sugar by such person, establishment of unit in the last twelve months;

(b) "Chartered Accountant" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountant Act, 1949.

2. This Order shall come into force after twenty one days of its publication in the Official Gazette and remain in force for a period of six months.

[F. No.1-17/98-SPY.D.II]

R. P. BHAGRIA, Chief Director (Sugar)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.